



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



PRV - 1260 ने रोड के किनारे गंभीर अवस्था में पड़े व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बचायी जा सकी...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के सफल पर्यवेक्षण में यू०पी० 112 पुलिस द्वारा लगातार जनपद वासियों को तत्काल सहायता हेतु पुलिस सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके क्रम में दिनांक 09.07.2021 को थाना चरखारी अन्तर्गत पीआरवी 1260 टीम को कॉलर श्री राघवेन्द्र जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की घटनास्थल झांसी हाइवे सूपा मंडी के पास एक बाइक सवार जो अज्ञात वाहन के ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था का डिवाइडर से टकरा जाने के कारण एक्सिडेंट हो गया है जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया है कृपया जल्दी पहुंचे...

इस सूचना पर थाना चरखारी अन्तर्गत पीआरवी 1260 टीम ने अल्प समय में घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल हो कर रोड पर बेहोशी की हालात में पड़ा है जिस पर तत्काल पीआरवी कर्मियों ने घायल व्यक्ति के पास पहुंचे, तभी रास्ते से अपने नियुक्त स्थल को जा रहे उ०नि० सचिन कुमार (थाना कुलपहाड़) ने भी तुरन्त अपनी बाइक रोककर सहायता को आगे बढे, पीआरवी कर्मियों एवं उ०नि० सचिन कुमार के संयुक्त प्रयास के द्वारा घायल व्यक्ति को अल्प समय में ही जिला अस्पताल पहुंचाया गया जिससे उसकी जान बचायी जा सकी, पीआरवी कर्मियों की तत्परता ने एक्सिडेंट में गंभीर घायल तनवीर को अस्पताल पहुंचा कर उसकी जान बचाई तथा परिजनों को सूचित किया, जनपदीय पुलिस के द्वारा लगातार किये जा रहे सराहनीय कार्यों की आमजनमानस में प्रशंसा हो रही है।

पीआरवी- 1260 का विवरण...

यूपी 112 जनपद महोबा, थाना चरखारी इवेंट संख्या - 10680 ।

1. कमांडर – हे०कां० रामकिशन ।
2. सब कमांडर - म०आ० शकुंतला यादव 3. म०आ० कविता यादव ।
4. पायलट - **HG** अनिरुद्ध सिंह ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.07.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के निकट पर्यवेक्षण में गठित उ०नि० महेन्द्र सिंह तोमर व कां० हिमान्शु व कां० धर्मेन्द्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर थानास्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 176/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रंजीत शुकला पुत्र लक्ष्मी प्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी मु० राजीवनगर कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा को पांच पहाडी चौराह कस्बा कबरई से गिरफ्तार किया गया।

ध्यातव्य हो कि अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा 315 बोर 01 अदद जो कि पूर्व में स्थानीय निवासियों द्वारा बरामद कर लिया गया था, अभियुक्त मौका देखकर स्थानीय लोगों की पकड़ से भागने में सफल रहा था, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ०नि० महेन्द्र सिंह तोमर
2. कां० हिमान्शु 2.कां० धर्मेन्द्र कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

रंजीत शुकला पुत्र लक्ष्मी प्रसाद उम्र 27 वर्ष निवासी मु० राजीवनगर कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कोतवाली महोबा पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से मो0सा0 बरामद



आज दिनांक 10.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम ने 03 नफर अभियुक्तगण **1.** अक्षय प्रजापति पुत्र गणेश प्रजापति उम्र 20 वर्ष, निवासी गांधी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा **2.** गौरव उर्फ भग्गू पटेल उम्र 20 वर्ष, निवासी न्यू महोबा सिटी मु0 गांधी नगर थाना

कोतवाली नगर जनपद महोबा **3.** राहुल कुशवाहा पुत्र प्रीतम कुशवाहा निवासी महिन्द्रा एजेन्सी के पास थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, सम्बन्धित मु0अ0सं0 307/2021 धारा 379/411 भादवि को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से एक अदद मोटर साईकिल यूपी 95 आर 8145 बरामद की गई। बाद विधिक कार्यवाही अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अक्षय प्रजापति पुत्र गणेश प्रजापति उम्र 20 वर्ष, निवासी गांधी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।
2. गौरव उर्फ भग्गू पटेल उम्र 20 वर्ष, निवासी न्यू महोबा सिटी मु0 गांधी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।
3. राहुल कुशवाहा पुत्र प्रीतम कुशवाहा निवासी महिन्द्रा एजेन्सी के पास थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 राहुल पाण्डेय
2. का0 कृष्णपाल
3. का0 शिवकुमार
4. का0 अजीत

बरामदगी:- एक अदद मोटर साईकिल यूपी 95 आर 8145




प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



महोबकण्ठ पुलिस टीम द्वारा 13 लीटर, 72 क्वाटर अवैध शराब सहित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 10.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ श्री सुनील कुमार तिवारी द्वारा गठित **प्रथम टीम** द्वारा अभियुक्त कौशल कुशवाहा पुत्र रमेश्वर कुशवाहा उम्र 35 वर्ष निवासी तेलीपहाड़ी थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा को **42 अदद क्वाटर अवैध देशी शराब** सहित गिरफ्तार किया गया। **द्वितीय टीम** द्वारा अभियुक्त मुन्ना लाल पुत्र गोटीराम साहू उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम गाडौ थाना महोबकण्ठ जिला महोबा को **13 लीटर अवैध कच्ची शराब** सहित गिरफ्तार किया गया। **तृतीय टीम** द्वारा अभियुक्त तुलसीदास पुत्र स्व0

रामदयाल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बगरौनी थाना महोबकण्ठ जिला महोबा को **30 अदद अवैध क्वाटर देशी शराब** सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः **मु.अ.सं. 90/21, 91/21, 92/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. कौशल कुशवाहा पुत्र रमेश्वर कुशवाहा उम्र 35 वर्ष निवासी तेलीपहाड़ी थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा।
2. मुन्ना लाल पुत्र गोटीराम साहू उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम गाडौ थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा।
3. तुलसीदास पुत्र स्व0 रामदयाल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बगरौनी थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार
2. उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्यय
3. हे.का. दिनेश चन्द्र
4. कां0 विकास सरोज
5. कां0 शिवनारायण



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 10.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग



आज दिनांक 10.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई एवं लोगों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया व मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी बनाकर रखने की अपील की गई।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **06 ई-चालान व** कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **15 व्यक्तियों से 2200/-रु० शुल्क वसूला गया।**

